न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 60 / 2017

मिर्जा खलीक उल्ला बैग एडवोकेट निवासी नजरबाग राज टाकीज रोड टोंक राज0
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक
——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 08.11.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

श्री प्रहलाद सिंह गिरदावर कस्बा टोंक की सेवा पुस्तिका की नकल आरम्भ से लेकर वर्ष 2016 तक की हुई ऐन्ट्री(इन्द्राज)

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 1516 दिनांक 29.09.2017,1593 दिनांक 09.10.2017,1651 दिनांक 16.10.2017,1717 दिनांक 26.10.2017 व 1744 दिनांक 02.11.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 8273 दिनांक 07.11.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि उनके पत्र कमांक 6805 दिनांक 07.09.2017 से अपीलार्थी को सूचना के संबंध मे सूचित कर दिया गया है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते